

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक / /

विषय : डा० संजीता रानी, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी, पटना को अवकाश खाते में संचित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-8889(2)वि० दिनांक-24.12.1986, पत्रांक-1829(2)वि० दिनांक 07.04.2005 एवं महालेखाकार, बिहार पटना के ज्ञापाक-LR : 271120250200821, LR No. 0411/2025-2026 के आलोक में डा० संजीता रानी, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी, पटना के अवकाश खाते में संचित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) डा० संजीता रानी की सेवानिवृत्ति की तिथि-31.07.2025 है।

(3) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के सम्बन्ध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के उपरान्त डा० संजीता रानी, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी, पटना के पक्ष में 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र उपाधीक्षक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी, पटना के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

(4) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/पेन-74/2025-

59(2)

पटना, दिनांक 12/01/2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०त्रि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० संजीता रानी, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, मसौढ़ी, पटना पत्राचार का पता-14 रेवेन्यू कॉलोनी एन० सेक्टर चित्रगुप्तनगर, कंकडबाग, पो०-कंकडबाग, थाना-पत्रकारनगर, जिला-पटना (बिहार), पिन कोड-800020/प्रशाखा पदाधिकारी-03, 09 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/01/26
सरकार के उप सचिव